

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

आदेश संख्या:- 2/अ0प्र0-1-50/2023

05

/पटना, दिनांक :- 12.1.24

श्री मंगल मंडल, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल भभुआ के विरुद्ध कार्यालय आदेश सं0 250 दिनांक 11.10.2022 द्वारा किये गए स्थानांतरण के बावजूद नए पदस्थापन कार्यालय का प्रभार ग्रहण नहीं करने, पूर्व पदस्थापन कार्यालय का प्रभार नहीं सौंपने तथा इस संबंध में विभाग द्वारा मांगी गई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराने संबंधी आरोपों पर आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 1225 दिनांक 18.05.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

श्री मंडल द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 06.06.2023 के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। अपने स्पष्टीकरण में श्री मंडल द्वारा नवपदस्थापित स्थल का पदभार ग्रहण नहीं करने संबंधी आरोपों के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल भभुआ का पत्रांक 366 दिनांक 23.02.2023 का जिक्र किया गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि श्री मंडल द्वारा दिनांक 26.10.2022 को प्रमंडलीय कार्यालय में योगदान दिया गया परन्तु योगदान के पश्चात् दिनांक 23.02.2023 तक श्री मंडल द्वारा अपना पदभार ग्रहण नहीं किया गया था। इस संबंध में श्री मंडल द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 27.10.2022 से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और उनका ईलाज Ford Hospital & Research Centre Pvt. Ltd. में चल रहा था। साक्ष्य स्वरूप उनके द्वारा अस्पताल का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। प्रभार का आदान प्रदान नहीं करने के संबंध में तत्कालीन अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पत्रांक 234 दिनांक 13.01.2023 के माध्यम से पूछे गए स्पष्टीकरण का जबाब समर्पित नहीं करने के संबंध में श्री मंडल द्वारा दिनांक 27.10.2022 से 09.03.2023 तक अस्वस्थ होने के कारण स्पष्टीकरण समर्पित करने में असमर्थ होने का उल्लेख किया गया है।

मामले की समीक्षोपरान्त स्पष्ट हुआ कि विभाग द्वारा निर्गत स्थानांतरण आदेश के अनुपालन में यद्यपि श्री मंगल मंडल द्वारा कार्य प्रमंडल भभुआ में योगदान दिया गया एवं अपनी अस्वस्थता के कारण ससमय पदभार ग्रहण नहीं किया गया परन्तु इस संबंध में उनके द्वारा कार्यपालक अभियंता को ससमय सूचना दिया जाना चाहिए था। साथ ही तत्कालीन अभियंता प्रमुख द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण के प्रसंग में स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराया जाना चाहिए था। उक्त कृत्य श्री मंडल के अनुशासनहीनता को दर्शाता है।

अतः श्री मंगल मंडल, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल भभुआ को भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी संसूचित की जाती है।

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-
सह-विशेष सचिव

12-1-24

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-50/2023 90 /पटना, दिनांक:- 12-1-24

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य अंचल सासाराम/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भभुआ/वीरपुर/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री मंगल मंडल, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-50/2023 90

/पटना, दिनांक:- 12-1-24

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(Signature)

अभियंता प्रमुख